



सेवोत्तम प्रमाणित



पत्रांक:

/ M-10 / 96

दिनांक

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदायें टू-बिड पद्धति से आमंत्रित की जाती है, जो निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निम्नांकित विवरण के अनुसार खोली जायेगी। निविदा प्रकाशित होने के बाद <http://etender.up.nic.in> पर समस्त विवरण आनलाइन उपलब्ध रहेगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने हेतु निर्धारित तिथि की सूचना परिषद वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय बिड का परिणाम भी <http://etender.up.nic.in> पर आन-लाइन उपलब्ध रहेगा।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य/फीस (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार / फर्म की श्रेणी	ई-निविदा डाउनलोड तथा अपलोड करने की तिथि	तकनीकी बिड खुलने की तिथि व समय	खण्ड कार्यालय जहां निविदा खोली जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अवस्थापना निधि के अन्तर्गत अवधपुरी योजना, अयोध्या में आन्तरिक सड़कों (सी0सी0) का निर्माण एवं आन्तरिक नालियों के मरम्मत का कार्य।	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	140.03	2.80	4500.00+ 18% GST	03 माह	परिषद में समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत	04.06.2025 (05:00 PM) से 25.06.2025 (03:00 PM) तक	25.06.2025 (03:30 PM)	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-04, जनपद अयोध्या
2	जनपद अम्बेडकरनगर के थाना भीटी में टाइप-ए के 06 नग एवं टाइप-बी के 20 नग आवासीय भवनों का निर्माण कार्य।	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	810.00	16.20	7500.00+ 18% GST	18 माह	परिषद में समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत	04.06.2025 (05:00 PM) से 03.07.2025 (03:00 PM) तक	03.07.2025 (03:30 PM)	अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-02, जनपद अयोध्या

निविदा क्रमांक 1 के कार्य हेतु धरोहर धनराशि एवं ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने हेतु खाते का विवरण

- खाता धारक का नाम- Executive Engineer CD Ayodhya 04, Ayodhya UPAVP
- बैंक का नाम/शाखा- HDFC Bank, Civil Line's Faizabad
- बचत खाता संख्या- 50100520924038
- आई0ए0एफ0सी0 कोड- HDFC0000862

निविदा क्रमांक 2 के कार्य हेतु धरोहर धनराशि एवं ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने हेतु खाते का विवरण

- खाता धारक का नाम- Executive Engineer CD Ayodhya2 UPAVP
- बैंक का नाम/शाखा- BANK OF BARODA, KHAWASPURA, AYODHYA
- बचत खाता संख्या- 00670200002379
- आई0एफ0एस0सी0 कोड नं0- BARB0FAIZAB

ई-निविदा के सम्बन्ध में शर्तें

- निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS के माध्यम से क्रमांक-1 के कार्य हेतु सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के खाते में दिनांक 24.06.2025 एवं क्रमांक-2 के कार्य हेतु सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के खाते में दिनांक 02.07.2025 को अपरान्ह 16.00 बजे तक जमा किये जाने होंगे। यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (परिषद में) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रूप में देय होगी। खाते का विवरण उपरोक्तानुसार है।
- निर्धारित तिथि एवं समय के बाद धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र के फीस का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा तथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, तकनीकी बिड में सफल निविदाओं को अपलोड करने के उपरान्त सूचित किया जायेगा।

4. निविदा से सम्बन्धित प्रोसेसिंग फीस व धरोहर धनराशि अलग-अलग आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उक्त विवरण के अनुसार निर्धारित बैंक खाते में जमा (Credit) होना आवश्यक है। नियत तिथि व समय तक खाते में उक्त वांछित धनराशि जमा (Credit) होने की पुष्टि न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा से सम्बन्धित प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि के मूल्य से संबंधित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 नम्बर/जमा पुष्टि प्रपत्र की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा। निविदा आमन्त्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाइट www.upavp.in अथवा <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक फर्मों/निविदादाताओं से अपेक्षा है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि इस निविदा के सम्बन्ध में संशोधन/बदलाव की सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
6. निविदादाता की निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10.00 प्रतिशत जमानत धनराशि/फरफार्मेन्स सिक्योरिटी की FDR/CDR, जो कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को बंधक हो, जमा करनी होगी।
7. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय दरों की वैधता 03 माह की रखने हेतु रु0 100.00 मूल्य के नान ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर जिस पर रु0 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो देनी होगी एवं ई-टेंडर में स्कैन कापी अपलोड करना होगा।
8. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन के समय रु0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा कि यदि स्टाम्प की अतिरिक्त देयता होगी तो फर्म/निविदादाता द्वारा अतिरिक्त मूल्य का स्टाम्प पेपर कार्यालय में जमा कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला व्यय फर्म/निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
9. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
10. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/MoRT & H/सी0पी0डब्लू0डी0/उ0प्र0 जल निगम/भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आई0एस0 कोड/IRC कोड/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
11. फर्म/निविदादाता द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के गलत पाये जाने पर फर्म/निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
12. फर्म/निविदादाता का जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा उसके सभी देयकों से इनकम टैक्स एवं अन्य कोई कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
13. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी हेतु फार्म MM-11/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जाएगी। शासनादेश संख्या-3385/86-2015-292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में फर्म/निविदादाता नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करते हैं तो निर्धारित रायल्टी का छः गुना फर्म/निविदादाता के देयक से वसूली की जायेगी।
14. निविदादाता/फर्म के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्य एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो फर्म/निविदादाता का अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
15. शासनादेश संख्या-622/2372-2012-2आडिट/08टी0सी0-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दर देने पर फर्म/निविदादाता द्वारा अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी देय होगी। अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
(क) 10 प्रतिशत Below दर तक प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर/0.50 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि।
(ख) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर होने पर प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर/1.00 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि।
16. शासनादेश संख्या 622/2372-2012-2आडिट/08टी0सी0-2 लोक निर्माण विभाग-12 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (म0) के पत्र संख्या 4196/निविदा/2018 दिनांक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलो निविदा के मामले में वांछित अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी वित्तीय बिड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर एल-1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में फर्म/निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. निविदा स्वीकृति के पश्चात् नियमानुसार जमानत धनराशि जमा करने पर अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
18. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
19. निविदादाता/फर्म के देयकों से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि सम्बन्धित विभाग में जमा किया जायेगा।

20. कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है, जिसके लिए फर्म/निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व फर्म/निविदादाता को चाहिए कि वे स्थल का निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में इस सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
21. अधोहस्ताक्षरी/सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।
22. जी0पी0डब्लू-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
23. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
24. कार्य के डिफेक्ट लाइविलिटी की अवधि 01 वर्ष होगी।
25. विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत लाइसेन्स धारक व्यक्ति/फर्म से कराये जाने का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।
26. वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रिय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व एन0जी0टी0 की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार किया जाना होगा।
27. फिनिशिंग, फर्नीशिंग आदि मदों में परिषद की ब्रान्डेड मटेरियल सूची में कई मेक उपलब्ध होने की दशा में उनमें से प्रयोग हेतु मेक का चयन अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
28. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ ही टी-4, टी-5 अर्थात् जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अथवा समकक्ष द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
29. कोई भी निविदादाता/फर्म जो उ0प्र0 राज्य सरकार अथवा सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज न हो, वो ही निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है तथा इस आशय का शपथ पत्र रू0 10.00 के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
30. आपूर्ति एवं संस्थापन के कार्य हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
31. इस कार्य में स्टोनग्रेट/बैलास्ट कबरई/झांसी खदान की ही प्रयोग की जायेगी।
32. सशर्त अथवा प्रतिबन्धित निविदा मान्य नहीं होगी।
33. फर्म को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
34. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन से सम्बन्धित कोविड-19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
35. किसी भी विवाद की दशा में जनपद-अयोध्या/अम्बेडकरनगर न्यायिक क्षेत्र होगा।

(डी0के0 गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 1140 / उक्त/96 दिनांक- 31/05/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता (म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी सेल/गुण नियंत्रण एवं परिकल्पना वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अयोध्या को उनके पत्रांक 750/ए0सी0-15/17 दिनांक 17.05.2025 के क्रम में।
5. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या-04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अयोध्या को उनके पत्रांक 561/ए0सी0-4/34 दिनांक 31.05.2025 के क्रम में।
6. ईचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता